न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 94/2023(GCMS : 2023/)

1. **रिछपाल सिंह** पुत्र श्री चनन सिंह, जाति जटसिख आयु वर्ष, काश्तकार चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

--- अपीलांट

बनाम

1. **गुरजीत सिंह पुत्र** श्री हरविन्द्र सिंह निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **श्री मनोज मीणा,** उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), **श्रीगंगानगर**
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये तहसीलदार (राजस्व), **श्रीगंगानगर**

--- **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.08.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री महेश दादरवावल ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायाललय में अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण अनवानी गुरजीत सिंह बनाम रिछपाल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी गुरजीत सिंह बनाम रिछपाल सिंह अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 **को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर